

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 327]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जून 2026 — ज्येष्ठ 27, शक 1948

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE/11/2025-GAD-1 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. शीर्षक “एक-सामान्य प्रशासन विभाग” के अंतर्गत, भाग (ई) “अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम” में, शब्द “कुछ नहीं” के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“1. छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल. ”

2. शीर्षक “छब्बीस- समाज कल्याण विभाग” के अंतर्गत भाग (अ) “विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय”, में सरल क्रमांक 15 का लोप किया जाये ।

3. शीर्षक “बयालीस- कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग” के अंतर्गत, भाग (ई) “अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम” के सरल क्रमांक 1 का लोप किया जाये ।

4. शीर्षक “पचपन-चिकित्सा शिक्षा विभाग” के अंतर्गत भाग (अ) “विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय”, में सरल क्रमांक 9 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“10. योग.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जून 2026

क्रमांक RULE/11/2025-GAD-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक RULE/11/2025-GAD-1 दिनांक 17-6-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 17th June 2026

NOTIFICATION

No. RULE/11/2025-GAD-1.— In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. Under heading "I-General Administration Department", in Part (D) "Boards and corporations set up under Acts", for the word "Nil", the following shall be substituted, namely:-

"1. Chhattisgarh Staff Selection Board."

2. Under heading "XXVI-Social Welfare Department", in Part (A) "Matters of Policy dealt within the Department", serial number 15 shall be omitted.

3. Under heading "XLII-Skill Development, Technical Education and Employment Department", in Part (D) "Boards and corporations set up under Acts", serial number 1 shall be omitted.

4. Under heading "LV-Medical Education Department", after serial number 9 of Part (A) "Matters of Policy dealt within the Department", the following shall be added, namely:-

"10. Yoga."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AVINASH CHAMPAWAT, Secretary.